न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 189/2014 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक :– 27.05.2016

श्री गोदा पिता परथा जी जाति डांगी आयु 75 वर्ष निवासी करोली (निम्बेला) तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

–प्रार्थी

बनाम

1. चुन्नीलाल पिता गोर्धन जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी मागथला (रेतडा) तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. उदयसिंह पिता गमेरसिंह जी जाति राठौड राजपूत आयु वयस्क निवासी निचली ओडन बोचवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित : – श्री महेन्द्र जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी

श्री निमिष शुक्ला, अधिवक्ता विपक्षीगण

: : **आदेश** : :

दिनांक :– 10.06.2019

प्रार्थी की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परिशिष्ठ अ मे राजस्व ग्राम डाबीयो का गुडा मे कुल आराजी किता 10 कुल रकबा 6–18 बीघा स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियो मे वर्तमान मे प्रार्थी के नाम पर 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा 1/8 हिस्सा वाद प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज है तथा वाद के प्रतिवादी सं. 3, 4 एवं 5 के नाम पर 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा विपक्षीगण ने वाद प्रतिवादी सं. 2 से 1/8 हिस्सा क्रय कर लिया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमियो मे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज होकर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमिया वर्तमान मे संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य में स्थित है तथा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियो का अभी तक विधिवत रूप से मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन नही हुआ है तथा वाद के प्रतिवादी सं. 2 ने बिना विभाजन कराये अपना हिस्सा विपक्षीगण को विक्रय कर दिया है जबकि उक्त कृषि भूमिया संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य में है तथा विपक्षीगण अपने पक्ष मे निष्पादित विक्रय पत्र की आड मे अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है जिसका

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

उसे कोई अधिकार नही है क्योकि विपक्षीगण स्टेंजर पर्चेजर है तथा जब तक खातेदारो के मध्य विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता है तब तक उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियो मे प्रवेश करने का कोई हक अधिकार नही है परन्तु विपक्षीगण कानून को हाथ मे लेकर जबरदस्ती प्रवेश करने पर उतारू होने के कारण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियो का विधिवत रूप से विभाजन न हो जावे तब तक उक्त कृषि भूमियो मे प्रवेश नही करे तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा एवं अवरोध उत्पन्न नही करे तथा दौराने वाद यदि विपक्षीगण ऐसा करे तो स्थिति पुनः यथावत कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मे सभी प्रतिवादीगणो को पक्षकार नही बनाया है। इसी आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 रेकर्ड के अनुसार है। प्रार्थना पत्र की कलम सं. 3 मे विपक्षीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा क्रय किया जाना स्वीकार है। विपक्षीगण ने दिनांक 09.06.2014 के पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये मौके पर वास्तविक आधिपत्य प्राप्त किया है जो कि विधि की प्रक्रिया है। विपक्षीगण स्वयं विभाजन चाहते है जिसे वाद मे विपक्षीगण ने स्वीकार भी कर लिया है। जिससे निषेधाज्ञा का प्रकरण मे किसी प्रकार से कोई औचित्य नही है। इसके बाद भी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के मुकाबले विपक्षीगण को काफी असुविधा होगी व निषेधाज्ञा की आड मे प्रार्थी जबरन विपक्षीगण को उनकी पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय शुदा आधिपत्य की कृषि भूमि से बेदखल कर देगें व जिससे वाद बाहुल्य भी बढेगा तथा विपक्षीगण का अपूरणीय क्षति होगी। जबकि विक्रय विलेख के आधिपत्य एवं सह हिस्सेदार होने से विपक्षीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। जिससे प्रार्थी किसी प्रकार से निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण सव्यय निरस्त फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता पक्षकारन की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :–

<u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u> :–पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2068–71 राजस्व ग्राम डाब्रियो का गुडा तहसील नाथद्वारा के खाता सं. 14 मे कुल आराजी किता 10 कुल रकबा 06–18 बीघा मे प्रार्थी 1/2 हिस्से व लोगर पिता खीमा मु. हानी बेवा खीमा 1/4 हिस्से के खातेदार है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय विलेख दिनांक 09.06.2014 अनुसार खातेदार श्रीमती हानी बेवा खीमा जी का हिस्सा चुन्नीलाल पिता गोवर्धन एवं उदयसिंह पिता गमेरसिंह राठौड को विक्रय करना प्रकट होता है एवं वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है जिसके प्रत्येक हिस्से पर सभी खातेदारो का समान हक–अधिकार है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण नही बनता है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति:–प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात मे संयुक्त खातेदार है अतः यदि किसी भी पक्ष के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूरणीय क्षति दूसरे पक्षकार को होगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

यह आदेश आज दिनांक **10.06.2019** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द